बिहार में ग्रामीण बैंकिंग की समस्याएँ और चुनौतियाँ

***हेमा कुमारी**
शोधार्थी
वाणिज्य एवं व्यवसाय प्रशासन विभाग
ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा, बिहार

****डॉ0 श्याम चन्द्र गुप्ता**
एसोसिएट प्रोफेसर एवं प्रधानाचार्य
एम.आर.एम. कॉलेज, दरभंगा, बिहार

सार संक्षेप

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के तेजी से विकास ने भारत में बैंकिंग सुविधाओं के संबंध में क्षेत्रीय असमानता को काफी हद तक कम करने में मदद की है। ग्रामीण क्षेत्रों में शाखा विस्तार, जमा संग्रहण और ग्रामीण विकास में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा किए गए प्रयास सराहनीय है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सफलतापूर्वक अपने प्रमुख उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए बैंकिंग सुविधाओं और सेवाओं को घर–घर ले जाना, विशेष रूप से बैंकिंग वंचित ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण वर्ग को परेशानी मुक्त और कम लागत वाले ऋण का लाभ उठाने के लिए जो कि निजी ऋणदाताओं पर निर्भर है, ग्रामीण लोगों को बचत के लिए प्रोत्साहित करने के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण उपलब्ध कराने की लागत को कम करना जैसे प्रयास कर रही हैं। इस प्रकार वर्तमान परिदृश्य में सहकारी बैंकों और वाणिज्यिक बैंकों की तुलना में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का एक मजबूत बैंकिंग नेटवर्क है। सरकार को ग्रामीण बैंकों को व्यवहार्य बनाने के लिए कुछ और प्रभावी उपचारात्मक कदम उठाने चाहिए।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापार और उद्योग को ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन इसकी सीमित व्यवसायिक लचीलेपन, ऋण के छोटे आकार, ऋण वसूली का कम प्रतिशत और ऋण और अग्रिम में उच्च जोखिम के कारण इसकी व्यवसायिक व्यवहार्यता पर सवाल उठाया गया है। ग्रामीण बैंकों को अपने संचालन में पारदर्शिता की कमी को दूर करने की आवश्यकता है जिससे बैंकर और ग्राहक के बीच असमान संबंध बनते हैं। इस समस्या को दूर करने के लिए बैंकिंग कर्मचारियों को अपने ग्राहकों के साथ अधिक बातचीत करना चाहिए। बैंकों को उन क्षेत्रों में अपनी शाखाएँ खोलनी चाहिए जहाँ ग्राहक बैंकिंग सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। इस डिजिटलाइजेशन युग में आरआरबी के मौजूदा ग्राहकों को बनाए रखने और संभावित ग्राहकों को आकर्षित करने करे लिए तेज, गुणात्मक और सुरक्षित बैंकिंग सेवाओं पर ध्यान केन्द्रित करना होगा। भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के वित्तीय प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए शोध अध्ययन महत्त्वपूर्ण है। वर्त्तमान अध्ययन के

1

परिणाम या निष्कर्ष नीति नियोजकों के लिए बिहार में विशेष रूप से और सामान्य रूप से भारतीय संदर्भ में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्य निष्पादन में सुधार लाने के उनके प्रयासों में उपयोगी हो सकते हैं।

भूमिका

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बिहार में अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों की अपेक्षाकृत कम उपस्थिति वाले ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाएं देने में अनिवार्य भूमिका निभाते हैं। राज्य में इनके विशाल नेटवर्क से मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में लघु एवं सीमांत किसानों, कारीगरों और समाज के वित्तीय रूप से कमजोर तबके के लोगों को ऋण पाने में मदद मिलती है। बिहार में दो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं –दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक और उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक।

बिहार में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की 68.8 प्रतिशत शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में, 26.2 प्रतिशत अर्थ–शहरी क्षेत्रों में और 5.0 प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में है। इनमें से दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक की 75.4 प्रतिशत शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थित हैं। वहीं, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक की 61.9 प्रतिशत शाखाएं ही ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थित हैं। बिहार के दोनो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शाखाओं की संख्या सितंबर 2021 और सितंबर 2022 में बराबर हो रहीं हैं। लेकिन दोनो बैंकों द्वारा जारी एटीएम कार्डों की संख्या सितंबर 2021 के 33.1 लाख से बढ़कर सितंबर 2022 में 33.6 लाख हो गई। अपने शाखा नेटवर्क के अलावा, नकद रकम की निकासी सहित कुछ जरूरी बैंकिंग सेवाएं देने के लिए ये बैंक ग्राहक सेवा केंद्रों के माध्यम से भी काम करते हैं। सितंबर 2021 में राज्य में ग्रामीण बैंकों के 5679 ग्राहक सेवा केंद्र काम कर रहे थे।

तालिका 1 : बिहार में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शाखाओं की संख्या (सितंबर 2022)

बैंक का नाम	शाखाओं की अवस्थिति				एटीएम कार्ड (लाख में)
	ग्रामीण	अर्ध–शहरी	शहरी	योगफल	
दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक	813 (75.4)	204 (18.9)	61 (57)	1078 (100.0)	22.3
उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक	639 (61.9)	349 (33.8)	44 (4.3)	1032 (100.0)	11:3
योगफल	1452 (68.8)	553 (26.2)	105 (5.0)	2110 (100.0)	33.6

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े प्रतिशत वितरण हैं।

स्त्रोत : राज्यस्तरीय बैंकर समिति की रिपोर्ट

बिहार में आरआरबी के कार्यालयों की संख्या में निरंतर वृद्धि हुई है। आरआरबी के कार्यालयों की संख्या में वर्ष 2013–14, 2014–15 में 13.8 और 12.7 प्रतिशत की दर से तीव्र वृद्धि हुई है। आरआरबी के 2117 कार्यालयों के साथ, बिहार में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शाखाओं की संख्या के मामले में दूसरे स्थान पर है। ग्रामीण विकास में ग्रामीण बैंकों की भूमिका महत्त्वपूर्ण है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग ऋण वापसी करने में असहज हो रहे हैं। ऋण वसूली एक चुनौती बन गया है। इस अध्ययन में ऋण से

ISSN NO: 0776-3808

जुड़े सभी पहलुओं का आकलन करने की आवश्यकता है। सह व्यक्ति अथवा प्रोजेक्ट को ऋण दिया जा रहा या नहीं इसका अध्ययन आवश्यक है। ग्रामीण बैंकों में क्रेडिट डिपॉजिट अनुपात में असमानता भी एक गंभीर समस्या रही है जिसका अध्ययन कर उन कारणो ंको दूर करने का प्रयास आवश्यक है। ग्रामीण बैंक वित्तीय प्रबंध की समस्याओं से जूझ रहे हैं। अतएव, इसके वित्तीय कार्यों के मूल्यांकन की आवश्यकता है। इसी पृष्ठभूमि में वर्तमान अध्ययन में उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के वित्तीय कार्यों का मूल्यांकन किया गया है।

ग्रामीण बैंकिंग की समस्याएँ और चुनौतियाँ

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था भारत गांवों में बसता है। ग्रामीण विकास भारत के समूचे विकास की अनिवार्य शर्त है। आजादी के बाद से हमारे नीति निर्माताओं का यह निरंतर प्रयास रहा है कि भारत में ग्रामीण समृद्धि लाने पर पर्याप्त जोर दिया जाये। आजादी के 77 वर्षों के दौरान सहकारी ऋण संरचना से लेकर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के राष्ट्रीयकरण, ग्रामीण क्षेत्रों में उनकी शाखाओं के विस्तार और 1976 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शुरुआत के साथ औपचारिक ग्रामीण संस्थागत संरचना में कई गुना बढ़ोतरी हुई। इसके बावजूद हमारी ग्रामीण आबादी का बड़ा हिस्सा अभी भी आर्थिक रूप से बहिष्कृत और साहूकारों के चुंगल में है जो गंभीर चिंता का विषय है।

आज भी बैंकों से अछूती विश्व की 24 प्रतिशत आबादी और दक्षिण एशिया के दो तिहाई लोग भारत में बसते हैं। गांवों की लगभग 31 करोड़ जनसंख्या को औपचारिक बैंकिंग सेवा प्राप्त नहीं है। जैसा कि एसएलबीसी की रिपोर्ट कहती है, 30 जून 2016 तक भारत के 6,00,000 में से 4.52.151 गांवों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान की गयी हैं। इनमें से 14,976 को बैंक शाखाओं, 4,16,636 को बीसी (बिजनेस कॉरसपॉन्डेंट्स) और 20,539 को अन्य माध्यमों जैसे एटीएम, मोबाइल वैन आदि के माध्यम से बैंकिंग से जोड़ा गया है। इसके अतिरिक्त खराब भौतिक और सामाजिक बुनियादी ढांचा भी वित्तीय सेवाओं तक पहुंच को प्रभावित करता है।

देश की औसत ग्रामीण साक्षरता दर 71 प्रतिशत है लेकिन यह भी सच्चाई है कि एक आम ग्रामीण को बैंक शाखा तक सफर करने के लिए पूरे एक दिन की मजदूरी का त्याग करना पड़ सकता है जो सुबह 10 बजे खुलकर शाम को पांच बजे बंद हो जाता है। ऋण और बचत खाते को सुविधा बढ़ाने के लिए बैंकों द्वारा गैर–सरकारी संगठनों, स्व–सहायता समूहों जैसे मध्यस्थों, बैंकिंग कॉरेसपॉन्डेंट्स और बिजनेस फेसिलिटेटर्स जैसे अर्थ औपचारिक डिलिवरी चैनल्स का प्रयोग किया जाता है। हालांकि ये चैनल अपने मौजूदा रूप में सीमित सेवाएं प्रदान करते हैं और इनमें कई समस्याएं भी हैं।

इसके अतिरिक्त कई बैंक ग्रामीण बाजार को एक आर्थिक मौके की बजाय एक रेगुलेटरी जरूरत के रूप में देखते हैं। इसका कारण यह है कि ग्रामीण परिवारों की आय और व्यय अनियमित होता है। इसलिए इन इलाकों में बैंकों के ऋण गैर–निष्पादक होते हैं। चूंकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था मानसून पर निर्भर रहती है। राजनीतिक पार्टियां लाभ पाने के लिए ऋण छूट भी देती हैं जिससे बैंकों का संकट बढ़ता है। गांवों में जमा राशि और ऋण दोनों का आकार कम होता है जिसका अर्थ यह है कि बैंकों को प्रत्येक शाखा में अधिक ग्राहकों की जरूरत होती है। चूंकि बहुत से ग्रामीण साक्षर नहीं हैं और इसलिए वे एटीएम, फोन बैंकिंग या इंटरनेट बैंकिंग आदि का उपयोग नहीं कर पाते। वे बैंक शाखाओं पर निर्भर रहते हैं जिससे बैंकों की लागत बढ़ती है। साथ ही बैंकों को गांवों में अनियमित आय और आकस्मिक जरूरतों के चलते ऋण देना जोखिमपूर्ण लगता है। एक ओर गरीब लोगों को मूल बचत सेवाओं और उत्पादन लागत एवं आकस्मिक खर्चों के लिए छोटे ऋणों की जरूरत होती है, वहीं दूसरी ओर किसानों एवं किसान संगठनों को उत्पादन, इनपुट, प्रोसेसिंग, मार्केटिंग के लिए बड़े ऋण तथा जोखिम से बचाव करने वाले उत्पादों जैसे जीवन या संपत्ति बीमा की आवश्यकता होती है।

वित्त के नये ग्रामीण आदर्श को इस बात पर आधारित होना चाहिए कि ग्रामीण लोग बैंक योग्य हैं। यह भी कि ग्रामीण ग्राहक केवल किसानों और अशिक्षित लोग नहीं हैं, बल्कि इसमें एक ऐसी पीढ़ी भी शामिल है जो तकनीक का उपयोग करती है और उसे अपना सकती है। इसलिए आज जरूरत इस बात की है कि वित्तीय क्षेत्र समावेशी बने और इसमें टिकाऊ संस्थान शामिल हों जिनकी रूपरेखा मांग आधारित हो और जिनमें अनेक प्रकार के वित्तीय उत्पाद एवं सेवाओं का प्रावधान हो। इस प्रकार एक समावेशी और टिकाऊ ग्रामीण वित्तीय प्रणाली विकसित करना बेहद चुनौतीपूर्ण है और इसमें कई व्यापक मुद्दे शामिल हों। इन्हें हम सात श्रेणियों में रख सकते हैंः

I. उत्पाद रणनीति

छोटे लेनदेन के लिए क्या ऐसे विविध उत्पादों और सेवाओं को विकसित किया जा सकता है जिनके लिए उत्पाद के लचीलापन, निरंतर उपलब्धता और सुविधा के साथ समझौता न किया जाए। किस किस्म के वित्तीय उत्पादों को विकसित किया जा सकता है? किस किस्म के वित्तीय उत्पादों की मदद से गरीबी को कम किया जा सकता है और ग्रामीण क्षेत्रों की विकास दर में वृद्धि की जा सकती है?

II. प्रक्रियाएं

वंचितों और कमजोर तबकों तक पहुंचने और वित्तीय व्यवहार्यता को खतरे में डाले बिना ग्राहकों को आसानी से सेवाएं प्रदान करने में किस प्रकार की व्यावसायिक प्रक्रियाएं मददगार साबित हो सकती हैं?

शाखा विहीन बैंकिंग की बाधाओं को दूर करने के लिए हम एक कुशल हब और स्पोक मॉडल कैसे डिजाइन कर सकते हैं?

III. साझेदारी

बैंकों में खाते न होने के कारण लोगों को वित्तीय सेवाओं का लाभ उठाने में किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? क्या बैंक गैर–बैंक भागीदारी, जैसे बिजनेस कॉरेसपॉन्डेंट, एसएचबीजीज, एमएफआई आदि वित्तीय सेवाओं की सुविधा और उपलब्धता को सहज बनाने में कुशल होते हैं?

IV. संरक्षण

सेवा प्रदाताओं और ग्राहकों को दुर्व्यवहार और दुरुपयोग से बचाने के लिए किन उपायों की आवश्यकता है? क्या इस क्षेत्र की संवेदनशीलता के मद्देनजर लोगों को ऋण संबंधी जोखिम से बचने के पर्याप्त रास्ते हैं? क्या ऋणदाता ऋण संस्कृति की अनिश्चितता से सुरक्षित हैं?

V. लाभपरकता

क्या व्यापार रणनीतियों और डिलीवरी मॉडल ग्रामीण ग्राहकों को सस्ती और स्वीकार्य सेवाएं प्रदान करने के लिए तैयार हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि ग्रामीण वित्त सेवा प्रदाता को निरंतर लाभ प्राप्त हो रहा है। हम एक उपयुक्त मूल्य निर्धारण मॉडल के माध्यम से ग्राहकों को भुगतान करने की इच्छा को कैसे अंगीकार करते हैं?

VI. उत्पादकता

ग्रामीण क्षेत्रों में प्रदान की जाने वाली वित्तीय सेवाओं की उत्पादकता को हम कैसे बढ़ाएं? वित्तीय सेवाओं के अधिक उत्पादक और सर्वश्रेष्ठ उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए वित्त के साथ अन्य संसाधनों को सहयोग देने के लिए आवश्यक क्या रणनीतियां (क्रेडिट प्लस दृष्टिकोण के अंतर्गत) हैं?

VII. लोग

क्या ग्रामीण बैंक शाखा के कर्मचारी ज्ञान, कौशल और व्यवहार के संदर्भ में वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम हैं? क्या इन लोगों में संभावित ग्राहकों की पहचान करने और उन्हें समय पर सलाह देने एवं बैंकिंग की विविध सेवाएं प्रदान करने की क्षमता, समझ और प्रतिबद्धता है?

बीसी मॉडल गरीब गांवों में अच्छी तरह से काम करे, इसके लिए आवश्यकता है कि

- कम आय वाले और कम मात्रा में लेनदेन करने वाले ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करने के कारण बीसीज को पर्याप्त आय प्राप्त नहीं होती। बीसी के सर्वश्रेष्ठ उपयोग के लिए उन्हें बैंकों द्वारा

पर्याप्त रूप से मुआवजा देने की आवश्यकता है ताकि वे ग्रामीणों को उनकी दहलीज तक बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए पर्याप्त रूप से प्रोत्साहित हो सकें।

- बीसी के कामकाज के निरीक्षण, नकदी प्रबंधन और ग्राहकों की शिकायतों पर ध्यान देने के लिए बैंकों को उचित दूरी पर छोटी ब्रिक और मोर्टार शाखाएं खोलनी चाहिए।
- इसके अतिरिक्त बैंकों को बीसी के प्रभावी कामकाज के लिए उपयुक्त प्रशिक्षण और कौशल विकास कार्यक्रम आरंभ करने की जरूरत है।

- सस्ती दरों पर गरीब ग्रामीणों की जरूरतों को पूरा करने के लिए उपयुक्त नये उत्पादों को डिजाइन करना एक अनिवार्यता है।
- ग्रामीणों को साहूकारों से उधार न लेना पड़े इसके लिए बैंकों को सरल ऋण वितरण प्रक्रियाओं का विकास करना चाहिए और उनकी प्रक्रियाओं में लचीलापन भी होना चाहिए।
- सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के परिवेश में तकनीक ही वह मुख्य साधन है जो अधिक से अधिक समावेश कर सकता है।
- ग्रामीणों को सेवाएं प्रदान करने के लिए बैंकों को अपने एटीएम नेटवर्क को ग्रामीण और बिना बैंक वाले क्षेत्रों में बढ़ाने की जरूरत है। इसके साथ पर्याप्त सुरक्षा उपायों के साथ–साथ वित्तीय साक्षरता अभियानों को भी शुरू किया जाना चाहिए।
- ग्रामीण क्षेत्रों में छोटी लेनदेन के साथ जुड़ी लागत को कम करने के लिए घरेलू रूपे कार्ड का उपयोग बढ़ाया जा सकता है।
- हालांकि हमारे देश के राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने पहले से ही केसीसी को इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट कार्डों और रूपे केसीसी में रूपांतरित करने के लिए कई नये कदम उठाए है। बैंक बहुउद्देशीय कार्ड जारी करने की संभावना तलाश सकते हैं जो डेबिट कार्ड, केसीसी और ग्रामीण क्षेत्रों की जरूरत के अनुसार जीसीसी के रूप में कार्य कर सकते हैं।

- ग्रामीण भारत में मार्च 2023 तक 52 करोड़ 50 लाख मोबाइल उपभोक्ता हैं। इस बात का विकल्प तलाशा जा सकता है कि एक एप्लीकेशन का प्रयोग करते हुए एन्क्रिप्टेड एसएमएस आधारित फंड ट्रांसफर का प्रयोग किया जाए और वह एप्लीकेशन किसी भी प्रकार के मोबाइल पर सहजता से चलायी जा सके।
- हाल के नाबार्ड सर्कुलर के प्रावधानों के अनुसार बैंक पैक्स का उपयोग कर सकते हैं जो विजनेस कॉरेसपॉन्डेंट्स के रूप में सहकारी समितियों का सबसे बड़ा ग्रामीण नेटवर्क है।
- चूंकि प्रवासी लोगों के लिए रेमिटेंस सुविधा सर्वोपरि है इसलिए प्रवासियों को आसान और सस्ती रेमिटेंस सुविधाएं प्रदान करना एक अनिवार्य शर्त है।
- गरीब ग्रामीणों के साथ काम करने के लिए बैंकों को बैंकिंग के मानवीय पक्ष के संबंध में अपने कर्मचारियों को बीसी को लैस करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करना होगा।
- अर्थपूर्ण वित्तीय समावेश करने के लिए बैंकों को बड़े किसानों की तुलना में छोटे किसानों को ऋण देने को वरीयता देनी चाहिए।
- बैंकों को अपने सीबीएस प्लेटफार्म्स की स्केलेबिलिटी सुनिश्चित करनी चाहिए।
- ग्रामीण बैंकिंग के लिए प्रभावी ढंग से इलेक्ट्रॉनिक लाभ हस्तांतरण प्रणाली को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। रोजगार और अन्य अवसरों को बढ़ावा देकर ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण अवशोषण क्षमता बढ़ाने के लिए सरकार बैंकों को कदम उठाने चाहिए।
- नवीनतम आंकड़ों से पता चलता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक शाखाओं की संख्या मार्च 2023 में 21,995 से बढ़कर मार्च 2024 में 22,069 हो गयी। जबकि ग्रामीण भारत में शाखाहीन बैंकिंग आउटलेट की संख्या मार्च 2023 में 18,54,336 हो गयी। यह शाखाहीन बैंकिंग के जरिए बैंकिंग सेवाओं की एक प्रभावशाली आउटरीच दिखाता है। फिर भी निजी क्षेत्र के बैंकों के मामले में मार्च 2023 तक कुल शाखाओं में ग्रामीण शाखाओं की हिस्सा सिर्फ 26 प्रतिशत था इसलिए निजी बैंकों द्वारा ग्रामीण शाखाओं की संख्या में वृद्धि करने की अत्यंत आवश्यकता है।

- कथित तौर पर भारत में 6 लाख में से करीब 18000 गांवों में बिजली नहीं है इसलिए सरकार को पर्याप्त बुनियादी ढांचे जैसे भौतिक और डिजिटल कनेक्टिविटी, निरंतर बिजली आपूर्ति आदि के संबंध में प्रयास करने की आवश्यकता है।
- सभी बैंकों को आमजन भाषाई होने की जरूरत है, कम से कम प्रमुख भाषाओं में। वित्तीय साक्षरता के अभियान के अंग के रूप में बैंकों को आम जनता के मन से अंग्रेजी भाषा का भय भी समाप्त किया जाना चाहिए।
- भारत में 1,54,882 डाकघरों के साथ विश्व का सबसे बड़ा पोस्टल नेटवर्क है जिसमें 1,39,182 (89. 86 प्रतिशत) डाक घर ग्रामीण इलाकों में हैं। इसके मद्देनजर यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि पोस्ट ऑफिस उनके ज्ञात लाभों के कारण अधिक से अधिक सक्रिय भूमिका निभाएं। भारत सरकार द्वारा भारतीय डाक बैंक की शुरुआत निस्संदेह इस दिशा में एक उल्लेखनीय कदम है।
- हालांकि नाबार्ड का एसएचजी–बैंक लिंकेज कार्यक्रम दुनिया का सबसे बड़ा लघु ऋण कार्यक्रम बन गया है। लघु उद्यम संबंधी मुद्दों पर उनकी स्थिरता और क्रमिक वृद्धि अभी देखी जानी बाकी है।
- बीसी सेवाओं के प्राप्तकर्ता अधिकतर अशिक्षित और तकनीक से अनजान है जिनके कारण बीसी द्वारा उनका गलत मार्गदर्शन किया जाना संभव है।

सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक ने उपरोक्त मुद्दों को हल करने के लिए हाल ही में विभिन्न उपाय किये हैं जैसेः

1. जन धन योजना के तहत लगभग 53 करोड़ खातों को खोलने में सफलता।
2. लघु ऋण प्रदान करने के लिए सूक्ष्म इकाई विकास पुनर्वित्त एजेंसी (मुद्रा) की स्थापना।
3. विभिन्न सामाजिक योजनाएं जैसे अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीएमए योजना, जो सामाजिक सुरक्षा प्रदान करेंगी।
4. बैंकिंग कॉरेसपॉन्डेंट्स और बिजनेस फेसिलिटेटर्स के माध्यम से बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना।
5. क्रेडिट और डेबिट लेनदेन पर प्रस्तावित रियायतें।

6. नकद लेनदेन के बजाय माइक्रो एटीएम और रुपे कार्ड्स आधार से लिंक किये गये।
7. 11 भुगतान बैंकों और 10 छोटे वित्त बैंकों को नये लाइसेंस देकर अंतर बैंकिंग को बढ़ावा देना।

हालांकि इन कार्यक्रमों को भी कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ता हैः

- पीएमजेडीवाई में खातों की बहुलता की समस्या है। पीएमजेडीवाई के तहत खोले गये खातों में बड़ी संख्या में कोई पैसा नहीं है और ये निष्क्रिय हैं। इससे इन खातों को चलाने से बैंकों की लागत बढ़ती है। गरीब लोगों की कमाई गुजर–बसर लायक ही होती है और उनकी कोई नियमित कमाई नहीं होती। उनके पास बैंक खाते में बचत करने या किसी भी अन्य वित्तीय साधन की कोई गुंजाइश ही नहीं होती। नतीजतन उनके वित्तीय समावेश का कोई अर्थ नहीं है।
- प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाओं जैसे जनधन, आधार और मोबाइल (जेएएम) को जोड़ने का काम धीमा है।
- भुगतान बैंकों की पहुंच व्यापक है लेकिन उन्हें कई समस्याओं से निपटने की जरूरत है जैसे जटिल यूजर इंटरफेस, इंटरनेट की कमी, शिकायत निवारण तंत्र का न होना, जो उपयोगकर्ताओं के लिए परेशानियां पैदा करता है। इसके अतिरिक्त आरबीआई नये भुगतान बैंकों की जिम्मेदारी बढ़ाएगा, विशेष रूप से उत्तरदायित्व के संबंध में।
- प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण में देरी या लाभ प्रदान करने से इनकार करने की स्थिति में बैंक के अधिकारियों को मध्यस्थों का सहयोग लेना पड़ सकता है।
- भुगतान बैंकों के विस्तार से बैंकों को नियमित रूप से प्राप्त होने वाले शुल्क से वंचित रहना पड़ सकता है जो वे ग्राहकों से वसूलते हैं, जैसे डिमांड ड्राफ्ट, नकद हस्तांतरण, रेमिटेंस, चेक के माध्यम से नकद निकासी और एटीएम लेनदेन शुल्क।
- पीएमजेजेबीवाई, पीएमएसबीवाई, एपीआई जैसी योजनाएं इस बात पर बहुत हद तक निर्भर करती हैं कि बैंक सफलतापूर्वक गरीबों तक पहुंच बनाता है और यह एक महती काम है। चूंकि बहुत से लोगों को पेंशन या बीमा उत्पादों के बारे में जानकारी ही नहीं है।

- बहुत सारे मामलों में बिजनेस कॉरेसपॉन्डेंट्स पर पैसे वसूलने का आरोप लगाया गया है।
- बैंकिंग प्रौद्योगिकी संबंधी धोखाधड़ी की दर खतरनाक तरीके से बढ़ रही है।
- ग्रामीण और पश्चिमी क्षेत्र में मोबाइल कनेक्टिविटी अभी भी खराब स्थिति में है।
- प्राथमिकता क्षेत्र के ऋण उचित लोगों तक नहीं पहुंच पाते क्योंकि बहुत से बैंक गरीबों को उधार नहीं देते। इसलिए लक्ष्य प्राप्त करने के लिए वे ऐसे लोगों को ऋण देते हैं जो धोखाधड़ी से दस्तावेज बनाते हैं। उदाहरण के लिए स्वर्ण ऋण सस्ती दरों पर लिए उपलब्ध हैं। लेकिन किसानों के जो लोग से अपने खेती भी नहीं करते वे बैंकों संपकों का उपयोग करते हुए ये ऋण प्राप्त कर लेते हैं। इस तरह प्राथमिक क्षेत्र के ऋण उचित से अनुचित को मिल जाते हैं। सरकार को इस मुद्दे पर गौर करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उचित आवेदकों को ऋण प्रदान किया गया है और धोखाधड़ी से आवेदन करने वालों और बैंक के अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गयी है।

सुझाव

ग्रामीण बैंक एक वित्तीय संस्था है। यह जनसाधारण से जमाएं स्वीकार करके उसे ऋण के रूप अन्य लोगों में वितरित करने का कार्य करता है। इससे एक और जहां ग्रामीण जनता में बचत को बढावा मिलता है वही दूसरी ओर अर्थव्यवस्था के लिये पूंजी प्राप्त होती है। बैंकों को सरकारों व प्रायोजित बैंकों से भी अंश पूंजी प्राप्त होती है। इन सभी वित्तीय संसाधनों से ग्रामीण क्षेत्र के विशेषतः लघु एवं सीमान्त कृषकों एवं कमजोर वर्ग में उदार शर्तों पर ऋण वितरित करता है। जमा संग्रहण विषय पर प्रबन्धकीय कार्य कुशलता एवं प्रभावशीलता इस बात पर निर्भर करती है कि बैंक विभिन्न जमा योजनाजों द्वारा कितना अधिक जमा संग्रहण कर पाता है। बिहार के ग्रामीण बैंकों ने सावधि जमाओं में एवं बचत खातों में उल्लेखनीय वृद्धि अर्जित की है किन्तु चालू खाता जमा राशियों में हुई कमी बैंकों के प्रबन्ध की जमा संग्रहण में अकुशलता को दर्शाती है। ऋण वितरण विषय पर बैंकों की प्रबन्धकीय कार्य कुशलता/प्रभावशीलता इस बात पर निर्भर करती है बैंक अपने संस्थागत उद्देश्यों के अनुरूप कृषि एवं कमजोर वर्गों हेतु पर्याप्त साख, सुविधाएं उपलब्ध कराने में कहाँ तक सफल रहता

है। बिहार के ग्रामीण बैंकों में कृषि व सहकृषि को प्रदत ऋण का अनुपात अन्य ऋणों के अनुपात में काफी अच्छा रहा है। अनुसुचित जाति व जनजाति को भी ऋण उपलब्ध कराया जाने लगा है। यह प्रबन्धकीय कार्य कुशलता को दर्शाता है। बैंकों की अन्य बैंकिंग सुविधाओं से जोड़ने की दिशा में नवीन शाखाओं की स्थापना में आये ठहराव को समाप्त कर बैंकों के कार्य क्षेत्र को बढ़ाने के प्रयत्नों को गतिमान करना है।

बैंकों का सेविवर्गीय प्रबन्ध प्रबन्धकीय कार्य कुशलता की दृष्टि से अनुकूल है। बैंकों में मधुर औद्योगिक संबंध स्थापित है। वेतन प्रशासन व अन्य सुविधाएं भी राष्ट्रीयकृत बैंक के कर्मचारियों के अनुरूप है। बैंकों का कर्मचारी वर्ग बैंकों के सेविवर्गीय प्रबन्ध से औसत रूप से संतुष्ट है। बैंकों के सम्मिश्रण से विकास के अवसर, अच्छी कार्यदशाएं, प्रशिक्षण इत्यादि का कुशल प्रबन्ध होने का वातावरण एवं संसाधन उपलब्ध है। ग्रामीण बैंक चूंकि वित्तीय संस्था है, अतः प्रस्तुत अध्ययन में वित्तीय प्रबन्ध को विस्तारपूर्वक स्पष्ट किया गया है। बैंको को पूंजी प्राप्ति के स्त्रोतों के आधार पर प्रबन्धकीय कुशलता का मूल्यांकन करें तो पता चलता है कि बैंकों की पूंजी में उधार व पुनर्वित्र पूंजी प्राप्ति का अंश क्रांतिकारी ढंग से बढ़ा है, बैंक वित्तीय संसाधनों के लिये अपने प्रायोजित बैंक व नार्बाड पर निर्भर नही है। अतः विभिन्न स्त्रोतों द्वारा प्राप्त पूंजी में निरन्तर वृद्धि करने में सफलता प्राप्त कर लेने के कारण व पिछले वर्षों से लगातार लाभ में चलने के कारण बैंकों का वित्तीय प्रबन्ध श्रेष्ठ कहा जा सकता है।

कार्यशील पूंजी के प्रबन्ध की दृष्टि से देखा जाये तो प्रबन्धकीय प्रभावशीलता सामान्य श्रेणी की रही है। रोकड़ प्रबन्ध में प्रबन्धकीय प्रभावशीलता को देखे तो यह पता चलता है कि बैंकों में आवश्यकता से अधिक रोकड़ शेष पड़े रहते हैं जो प्रबन्धकीय अप्रभावशीलता को दर्शाते है। प्राप्य एवं ऋण वसूली प्रबन्ध के आधार पर देखे तो पता चलता है कि बैंकों में कुल ऋणों के आकार में निरन्तर वृद्धि हो रही है। ऋणों की संरचना में कृषि व सह कृषि प्राप्यों का प्रतिशत लगातार बढ़ा है। बैंकों द्वारा ऋणों का औसत भी बढ़ा है किन्तु ऋणों की वसूली की अवधि अपेक्षाकृत लम्बी है और अनार्जक सम्पतियां निरंतर कम होती रही है।

लाभार्जन क्षमता एवं परिचालन परिणाम के आधार पर देखा जाये तो बैंकों में प्रबन्धकीय कार्यकुशलता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है तथा बैंकों ने निरंतर लाभ कमाकर कुशलता अर्जित की है। वस्तुतः बिहार के सम्मिश्रित ग्रामीण बैंकों में कुछेक बैंक को लाभकारी इकाईयां प्राप्त हुई है जो भविष्य में बैंक को एक सुदृढ आधार प्रदान करेगा। संस्थागत दृष्टि से बैंकों की

कुशलता का मापन किया जाये तो पता चलता है कि बैंकों ने अपने उद्देश्यों की प्राप्ति की दिशा में उल्लेखनीय सफलता अर्जित की है। बैंकों ने ग्रामीण क्षेत्र की बचतों को एकत्रित करने में प्रति वर्ष वृद्धि हासिल की है तथा ऋण खातों एवं ग्राहकों की संख्या में वृद्धि की है। बैंकों ने पिछले वर्षों में अपनी कोई विशेष नयी शाखाएं स्थापित नहीं की है और कर्मचारियों की संख्या में भी कोई विशेष वृद्धि नहीं की है। ये तत्व कुशलता के पक्ष में नहीं कहे जा सकते है। ऋण वसूली के क्षेत्र में बैंकों का प्रबन्ध काफी सचेष्ट रहा है जिसके परिणामस्वरूप अनार्जक सम्पतियों में कमी हुई है। लेकिन अभी भी बैंकों द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के 50 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या को बैंकिंग सुविधा से नहीं जोड़ा जा सका है। अतः संस्थागत दृष्टिकोण से प्रबन्धकीय कार्यकुशलता औसत श्रेणी की कही जा सकती है।

कर्मचारियों के दृष्टिकोण से कर्मचारियों की सेवाशर्ते राष्ट्रीयकृत बैंकों के अनुरूप है, कर्मचारियों के लिये सामाजिक सुरक्षा योजनाएं भी उपलब्ध है। कर्मचारियों के प्रशिक्षण की पर्याप्त व्यवस्था की गयी है और प्रबन्ध कर्मचारी संबंध भी सोहार्दपूर्ण रहे हैं। किन्तु, कर्मचारियों के विकास के सीमित अवसर हैं जो कि सम्मिश्रण के पश्चात बढ़ने के पर्याप्त आधार प्रस्तुत करते हैं। बैंकों की शाखाओं में कार्य वातावरण सामान्य श्रेणी का है जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। बैंकों की अधिकांश शाखाओं का कम्प्युटरीकरण हो चुका है, लेकिन बैंकिंग क्षेत्र की नवीन प्रवृतियों को लागू करने की दिशा में कदम उठाने शेष है। सभी शाखाओं को जोड़ कर केन्द्रीयकृत या नाभिकीय सुविधाएं प्रदान करना शेष है। बैंकों के कर्मचारियों के लिये आवास की व्यवस्था बैंकों द्वारा नहीं की गयी है तथा न ही निकट भविष्य में ऐसी व्यवस्था की कोई विशेष आवश्यकता है। इसलिये कर्मचारी एवं बैंक प्रबन्ध सम्बन्ध औसत रूप से अनुकूल है।

समाज के दृष्टिकोण से देखा जाये तो हम पाते है कि बैंकों का परिचालन परिणाम औसत रूप से श्रेष्ठ है। बैंक जमाकर्ताओं का विश्वास बनाये रखने में सफल रही है। प्रायोजित बैंक, रिजर्व बैंक, नाबार्ड, राज्य सरकार व केन्द्र सरकार को संचालक मण्डल में समुचित प्रतिनिधित्व दिया गया है और कार्य रिपोर्ट भी नियमित रूप से प्रदान की गयी है। अतः निवेशकों के दृष्टिकोण से बैंक का प्रबन्ध कुशल है। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के साथ सामाजिक बैंकिंग की परिकल्पना भारतीय बैंकिंग उद्योग के साथ जुड़ती है और यही से वर्ग बैंकिंग का ऐतिहासिक दौर शुरू होता है, लेकिन यह तथ्य हमारे अर्थशास्त्रियों और योजनाकारों के सामने बराबर रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र भारतीय अर्थव्यस्था की बुनियाद है। इसलिये ग्रामीण क्षेत्र की

खुशहाली की आवश्यकता अधिक रहेगी। इसके परिप्रेक्ष्य में ग्रामीण विकास के लिये योजनाएं बनती है। बिहार के ग्रामीण बैंक अपने क्षेत्र के ग्रामीण विकास एवं साख सुविधाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं। बैंक की व्यवसाय में वृद्धि इस बात का प्रमाण है कि ग्रामीण क्षेत्र में इसकी उपादेयता बढ़ती जा रही है, किन्तु अध्ययन से यह स्पष्ट है कि बैंकों के लिये ग्रामीण बैंकिंग का कार्य समस्याओं से भरा हुआ है। ये समस्याएं मूलतः विपणन, वित्तीय, सेविवर्गीय एवं संगठनात्मक रही है। ग्रामीण अशिक्षा भी इन समस्याओं में वृद्धि करती है।

बैंकों की लाभदायकता की स्थिति में सुधार हुआ है। बिहार के ग्रामीण बैंकों में लाभदायकता स्थिति में सुधार हेतु कुछ नीतिगत परिवर्तन किये गए हैं। रिजर्व बैंक ने क्षेत्रीय बैंकों को 31 दिसम्बर 1994 तक दो वर्षों के लिये, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 42 की उपधाराएं (1) और (2) के परंतुक से छुट दी। अपनी निबल बैंक (नाबार्ड) तथा भारत सरकार के साथ परामर्श करके एक मुश्त उपायों की घोषणा की। इसका उद्देश्य यह था कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अपने वर्तमान शाखा नेटवर्क को युक्तिसंगत बनाये तथा उसमें परिचालनात्मक दक्षता लाने के लिये और अधिक स्वतंत्रता प्रदान की जाए।

देश की ग्रामीण वित्तीय संस्थाओं का महत्वपूर्ण घटक होने के नाते क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने भौगोलिक व्यापकता, ग्राहकों तक अपनी पहुँच, व्यवसाय की मात्रा एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सर्वागीण विकास में अपने योगदान द्वारा एक विशेष स्थान बना लिया है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक लगातार लाभ में रहने, बेहतर ग्राहक सेवा देने, नये ऋण उत्पाद सामने लाने और कारोबार में विविधता लाने के लिये निरन्तर प्रयासरत है। प्राथमिकता क्षेत्र के लिये ऋण उपलब्ध कराने, निवेश के अवसरो ऋण अनुशासन एवं वित्तीय पारदर्शिता के क्षेत्र में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक व्यावसायिक बैंकों के समतुल्य रहे हैं। अधिकांश क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की कार्य–निष्पादकता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। लेकिन कुछ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की कार्य–निष्पादकता उनके शिथिल व्यावसायिक विकास के कारण तथा परिचालनात्मक व्यवहार्यता के अभाव में असन्तोषजनक रही है। वर्तमान समय में, बैंकों द्वारा सामाजिक उद्देश्यों के लक्ष्यों को प्राप्त करते हुये लाभदायकता में वृद्धि करना आवश्यक है, ताकि बैंकिंग क्षेत्र में भविष्य में आने वाली चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना किया जा सके।

अध्ययन के आधार पर कहा जा सकता है कि पिछली दो दशाब्दियों में बैंकों का पर्याप्त भौगोलिक विस्तार हुआ है। अब बैंकों ने एक नये युग में प्रवेश किया है। आशा है बैंकों का भविष्य अधिक कार्यकुशलता, आधुनिक कार्यप्रणाली, नवोन्मेष व्यवसाय

का नया और विस्तृत क्षेत्र व पूंजी बाजार के बढ़ते हुये सम्पर्क जैसे विशेषताएं लेकर सामने आयेगा। अत. इन चुनौतियों का सामना करने के साथ आने वाले अवसरों का पूरा लाम उठाने की आवश्यकता है।

बैंकों की लाभदायकता की स्थिति तथा इसके लिये उत्तरदायी घटकों का विश्लेषण करने के पश्चात् यह विचारधारा निरन्तर बल पकड़ती जा रही है कि यदि लाभदायकता को प्रभावित करने वाले घटकों पर नियन्त्रण और लाभदायकता बढ़ाने के लिये नवीन प्रयास नहीं किये गये तो वास्तव में अधिकांश बैंक रुग्ण अवस्था में प्रवेश कर जायेंगे। लाभों के उच्च स्तर की प्राप्ति हेतु एक और व्यवसाय के लाभप्रद क्षेत्रों के लिये सघन एवं सृजनात्मक खोज जारी करते हुये वर्तमान संसाधनों का समुचित विदोहन कर अधिकतम आय प्राप्ति की आवश्यकता है। निष्पादन बजट प्रणाली में लाभदायकता को आवश्यक घटक बनाकर दीर्घकालीन लाभ आयोजन करना होगा। इस प्रकार बिहार के ग्रामीण बैंक अनेक समस्याओं से ग्रसित बैंक समग्र क्रान्ति की स्थिति में आये है। बैंकों की उपादेयता तथा क्षेत्र के आर्थिक विकास के लिये कठोर परिश्रम को देखते हुये कुछ करोड़ की हानि की जोखिम लेने की स्थिति में हैं। ग्रामीण क्षेत्र के विकास के विनियोग को देखते हुये हानि की मात्रा कर्मचारियों के वेतन की कुल राशि के बराबर ही रहा है।

निष्कर्ष

बैंकिंग और अन्य वित्तीय संस्थाओं से ऋण मिलना बिहार समेत किसी भी अर्थव्यवस्था के आर्थिक क्रियाकलापों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। बिहार में अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों के बीच सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की अधिसंरचना सबसे व्यापक है, जिसके बाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का स्थान है। राज्य में निजी क्षेत्र के बैंकों और लघु बचत बैंकों की उपस्थिति क्रमिक रूप से बढ़ी है। बिहार में बैंकों के लिए वार्षिक ऋण योजना (एसीपी) का लक्ष्य 2020—21 में 1.54 लाख करोड़ रु. से बढ़कर 2021—22 में 1.62 लाख रु. हो गया। लक्ष्य की तुलना में उपलब्धि के प्रतिशत में भी सुधार हुआ है, जो 2020—21 के 82.8 प्रतिशत से बढ़कर 2021—22 में 99.6 प्रतिशत हो गया। राज्य में बैंकों द्वारा दिए जाने वाले कुल ऋण में अनिष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) का हिस्सा भी 2021—22 में पिछले साल से घटा है। राज्य में होने वाले कुल जमा में सर्वाधिक हिस्सा वाले अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों का ऋण—जमा अनुपात 44.2 प्रतिशत है, जो राष्ट्रीय औसत (72.1 प्रतिशत) से काफी नीचे है। इसलिए आवश्यक है कि बिहार में जमा राशि जुटाने के लिहाज से सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक को अपने वर्तमान ऋण—जमा अनुपात (36.1 प्रतिशत) में सुधार करना चाहिए। असेवित क्षेत्रों में आवश्यक बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए बैंकों

ने राज्य में आउटसोर्स किए गए ग्राहक सेवा केंद्रों (सीएसपी) की संख्या बढ़ाई है। लेकिन ऋण बैंक शाखाओं द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं, ग्राहक सेवा केंद्रों द्वारा नहीं। इसलिए राज्य में बैंकिंग अधिसंरचना का विस्तार करने की जरूरत है क्योंकि देश की कुल बैंक शाखाओं में बिहार का हिस्सा जनसंख्या में राज्य के हिस्से की तुलना में काफी कम है।

अनसूचित व्यावसायिक बैंक बिहार सहित पूरे देश में जमाराशि इकट्ठा करने में अनिवार्य भूमिका निभाते हैं। ये बैंकिंग संस्थान व्यक्तियों तथा उद्योगों के लिए मुख्य ऋणदाता भी हैं। ये बैंक अर्थव्यवस्था में बैंकिंग लेनदेन के मुख्य सुगमकर्ता हैं। बिहार में अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों के बैंकिंग नेटवर्क में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का वर्चस्व है। सार्वजनिक क्षेत्र के बीच भारतीय स्टेट बैंक का बिहार में सबसे विस्तृत नेटवर्क है और बैंक आधारित लेनदेन में उसका अच्छा–खासा हिस्सा है। राज्य में निजी क्षेत्र के बैंकों की संख्या भी क्रमशः बढ़ी है। उनकी शाखाओं में भी क्रमिक लेकिन निरंतर वृद्धि हुई है। लघुवित्त बैंकों की शाखाओं की संख्या भी बढ़ी है। दोनो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी राज्य में बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने में आवश्यक भूमिका निभाते हैं।

निष्कर्षतः कोर बैंकिंग समाधान (CBS) की तर्ज पर RRBs के लिये एक सामान्य ढाँचे की आवश्यकता है, ताकि वे सभी अपने ग्राहकों को ऑनलाइन बैंकिंग सेवाएँ प्रदान कर सकें और अपनी पहुँच और लाभप्रदता को बढ़ा सकें। इंटरनेट बैंकिंग जैसी अन्य सुविधाओं का भी समावेश करना चाहिये। इसके अलावा उन्हें अपनी दक्षता बढ़ाने और बैंकिंग के विभिन्न अन्य आयामों तक पहुँचने की जरूरत है, जैसे व्यापारियों को ऋण प्रदान करना, जिससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) अपनी लाभप्रदता बढ़ा सकें।

सन्दर्भ :

1. *अहमद, रईस (1998),रूरल बैंकिंग एण्ड इकोनोमिक डेवलपमेन्ट, मित्तल पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली*
2. *आर्थिक सर्वेक्षण 2022–23, वित्त विभाग, बिहार सरकार, पटना*
3. *कुरुलकर, आर पी (1997), एग्रीकल्चरल फिनांस इन ए बैंकबार्ड रीजन, डी के पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स, नई दिल्ली*
4. *नाबार्ड की वार्षिक रिपोर्ट 2020–21*
5. *नायडू, एल० के० (1988), बैंक फिनांस फॉर रूरल डेवलपमेन्ट, आशीष पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली*
6. *पंत, नवीन (2010), ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाएँ, योजना, वर्ष 54, अंक 2, फरवरी, पृष्ठ 13–17.*
7. *प्रसाद, जगदीश (2000), नव बिहार : एक भविष्य निरुपण, तन्या प्रेस, पटना*
8. *बिहार राज्यस्तरीय बैंकर समिति की रिपोर्ट*
9. *यादव, चंद्रभान (2010), बैंकों से बदलती गांवों की तस्वीर, योजना, वर्ष 54, अंक 2, फरवरी, पृष्ठ 42*
10. *वर्मा, एम० एल० (1988), रूरल बैंकिंग इन इण्डिया, रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर*
11. *वर्मा, पी० सी० (2000) बिहार की अर्थव्यवस्था, तिरूपति उर्मिला पल्लवी प्रकाशन, पटना*
12. *www.bih.nic.in*

13- *www.nabard.org.in*

14. *www.rbi.org.in*
15. *www.ubgb.in*